<u>2011 का विधेयक संख्या 16</u>

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 24 नवम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 37 का संशोधन.-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान शब्द "प्रत्येक" के पश्चात् और विद्यमान शब्द "सदस्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "अध्यक्ष और" अन्तःस्थापित की जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 53 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.-**(1) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि उसे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाये, उस नगरपालिक क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक के बहुमत से गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है:

परन्तु वापस बुलाये जाने की ऐसी कोई भी प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव पर, निर्वाचित सदस्यों की

कुल संख्या के तीन चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये जायें और संबंधित कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाये:

परन्तु यह और कि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध -

(i) अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण के दो वर्ष के भीतर-भीतर;

(ii) किसी उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि की आधी कालावधि यदि समाप्त न हुई हो तो

ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के लिए प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार आरंभ की जायेगी।

(2) कलक्टर, यथासंभव शीघ्रता के साथ किन्तु सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अपना यह समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों ने वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, नगरपालिका की एक बैठक, जो चौदह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर बुलाई जायेगी, के लिए एक तारीख नियत करेगा, जिसकी अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) यदि उस बैठक में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला संकल्प नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से विहित रीति से पारित हो जाये और राज्य सरकार को संसूचित कर दिया जाये तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश करेगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, उक्त निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए, ऐसी रीति से व्यवस्था करेगा जो विहित की जाये।

(5) उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव, विहित रीति से किया और उस पर विचार किया जायेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस, किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती

प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 73 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।", के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जहां कोई नगरपालिका विहित समूह आवासन या नगरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए किसी नगरपालिक भूमि को पट्टे पर देती है, विक्रय करती है, आबंटित करती है या अन्यथा अन्तरित करती है तो ऎसा पट्टा, विक्रय, आबंटन या अन्तरण इस शर्त के अध्यधीन किया जायेगा कि ऎसी परियोजनाओं में भू-खण्डों या आवासन इकाइयों का कम से कम बीस प्रतिशत ऎसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह को कीमतों की पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, आबंटित किये जायेंगे।"।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 87 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।" हटायी जायेगी।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 88 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**88. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.-**(1) नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार

करेगी और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

(2) जहां कोई नगरपालिका उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो बजट प्राक्कलन तैयार करना और उस वर्ष की फरवरी के अट्ठाइसवें दिवस को या उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। राज्य सरकार बजट प्राक्कलनों को उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी और उन्हें नगरपालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3) नगरपालिक निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य-आदेश या मंजूरी, अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, के सिवाय न तो अनुमोदित की जायेगी और न ही जारी की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या ऐसे कार्य-आदेश या मंजूरी जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे व्यय के लिए संयुक्ततः और पृथकतः उत्तरदायी होंगे और वह उनसे वसूलीय होगा।"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 89-क का अंतःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"89-क. नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन.- (1) प्रत्येक नगरपालिका, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि

के नाम से एक निधि का गठन करेगी, जिसे इस धारा में आगे "निधि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसा प्रतिशत, जो किसी नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिह्वित होगा और अनन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जायेगा और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह जाती है व्यपगत नहीं होगी और निधि में जमा की जायेगी और आगामी वर्ष में उस वर्ष के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिये जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(3) निधि में निम्नलिखित नगरपालिक बजट संसाधनों में से आबंटन किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोत, जैसे कि कर, फीस, उपयोक्ता प्रभार, किराया इत्यादि;

(ख) समनुदेशित राजस्व;

(ग) केन्द्रीय या राज्य वित्त आयोगों से आबंटन और अन्य अन्तर-सरकारी अन्तरण;

(घ) गरीबों के लिए सेवाओं के लिए व्यष्टियों, संगठनों या अन्य दानदाताओं से नकद या वस्तुओं में अभिदाय या दान;

(ङ) बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाओं से अनुदान;

(च) नगरपालिक आस्तियों का विक्रय; और

(छ) अन्य स्रोत जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किये जायें।

(4) निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये पृथक् बैंक खाते में रखी जायेगी जिसे 'नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि' के नाम से जाना जायेगा।

(5) निधि-लेखों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिक लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखों की पृथक् प्राथमिक पुस्तकें संधारित की जायेंगी।

(6) नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आबंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा रखा जायेगा और पूर्व वर्ष के तत्संबंधी आकड़ों के साथ वार्षिक नगरपालिक बजट के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिक निधि के प्रचालन और उसके लेखा और लेखापरीक्षा से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के अधीन गठित निधि पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(i) नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, जो अनन्य रूप से गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास के लिए है, उपर्युक्त चिह्नित निधियों का भाग नहीं होगा; और

(ii) 'आधारभूत सेवाओं' में जलप्रदाय, जल-निकास, मलवहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सड़कों को जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सावर्जनिक उद्यान और खेल के मैदान, सामुदायिक और जीविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र और निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवासन और नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अन्य सेवाओं पर प्रत्यक्षतः उपगत पूंजी और राजस्व खाते पर व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें ऐसे वेतन और मजदूरी, जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः उपगत न हुई हो, सहित स्थापन व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 102 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (1) में,**-**

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द "भवनों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "पर कर" के पूर्व अभिव्यक्ति ",चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाये," अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित" हटायी जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 103 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 103 की उप-धारा (1) के खण्ड (**ix**) में**,** विद्यमान अभिव्यक्ति **"**आधे प्रतिशत**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**दस प्रतिशत**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 122 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 122 में**,-**

(क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) आवेदक ने उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दिया हो"; और

(ख) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 161 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 161 में**,** विद्यमान शब्द **"**नगरपालिका**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**राज्य सरकार**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 282 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 282 की उप-धारा (1) में**,-**

(क) खण्ड (द) में, विद्यमान शब्द "या" हटाया जायेगा;

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान विराम चिन्ह "," के पश्चात् शब्द "या" जोड़ा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (न) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(न) राज्य सरकार द्‌वारा समय-समय पर विहित कोई भी अन्य क्रियाकलाप,"।

13. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 331 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्‌यमान धारा 331 हटायी जायेगी।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 01) इसके द्‌वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्‌वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्‌वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 उपबंधित करती है कि नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व कलक्टर या उसके नामनिर्देशिती के समक्ष एक शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। यह समुचित समझा गया कि वह अधिकारी, जिसके समक्ष कोई सदस्य या कोई अध्यक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करे, उसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 37 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 53 अध्यक्ष में अविश्वास प्रस्ताव अभिव्यक्त करने के संबंध में उपबंध करती है। यह समुचित समझा गया कि अध्यक्ष को, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसके पद से अप्रत्यक्ष रीति से नहीं हटाया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 53 को हटाया जाना प्रस्तावित किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 73, नगरपालिका को अन्य बातों के साथ-साथ, नगरपालिक भूमि को व्ययनित करने के लिए सशक्त करती है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की यह आज्ञापक शर्त थी कि भूमि या आवासन इकाइयों का कम से कम बीस प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों से संबंधित लोगों के लिए रियायती दरों पर आबंटित किये जाने के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। उपरोक्त शर्त के अनुपालन के लिए धारा 73 में एक परन्तुक जोड़ा जाना प्रस्तावित था।

उक्त अधिनियम की धारा 87 नगरपालिका के बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिए उपबंध करती है। उप-धारा (1) में यह शर्त थी कि वित्तीय प्राक्कलन, नगरपालिका को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। इस शर्त से नगरपालिक बजट को समय पर प्रस्तुत करने और पारित किये जाने में विलंब हो रहा था। इसलिए, यह शर्त हटायी जानी प्रस्तावित थी।

उक्त अधिनियम की धारा 88 नगरपालिक बजट की मंजूरी का उपबंध करती है। यह महसूस किया गया कि किसी न किसी कारण से

आमतौर पर नगरपालिकाएं बजट प्राक्कलनों को लंबित रखती थीं। इस स्थिति से न केवल नगरीय क्षेत्रों का विकास प्रभावित हुआ बल्कि आधारभूत नागरिक सेवाओं के बनाये रखने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए, यह समीचीन समझा गया कि जहां नगरपालिका, धारा 88 की उप-धारा (1) में दी गयी समय-सीमा में बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है, वहां राज्य सरकार ऎसे बजट प्राक्कलनों को उपांतरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी। राज्य सरकार के ध्यान में ऎसे मामले भी लाये गये जिनमें नगरपालिकाओं या इनके अधिकारियों द्वारा नगरपालिक निधि में से व्ययों को अन्तवर्लित करने वाले कार्य-आदेश और मंजूरियां, बिना किसी मंजूर या अनुमोदित बजट प्रावधानों के जारी की गयी थीं। इस प्रकार के कार्य-आदेश और मंजूरियां नगरपालिक निधियों पर अनावश्यक भार उत्पन्न कर रही थीं। ऐसे कार्य-आदेश और मंजूरियों को रोकने के लिए यह समुचित समझा गया कि जहां अध्यक्ष या मुख्य नगरपालिक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी ऎसा कार्य-आदेश या मंजूरी जारी करता है या मंजूर करता है वहां उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और ऐसे कार्य-आदेशों और मंजूरियों में अन्तर्वलित व्यय उनसे वसूल किये जाने चाहिएं। तदनुसार, धारा 88 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की यह आज्ञापक शर्त है कि प्रत्येक नगरपालिका को नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उस नगरपालिका के कुल बजट मंजूरी अनुदान के लगभग पच्चीस प्रतिशत की व्यपगत न होने वाली निधि सृजित करनी चाहिए। उक्त शर्त का अनुपालन करने के लिए, पूर्वोक्त निधि के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उक्त अधिनियम में एक नयी धारा 89-क को अंतःस्थापित करना समुचित समझा गया।

भूमि और भवन कर विभिन्न नामों जैसे कि सम्पत्ति कर, भवन कर इत्यादि के नाम से उद्गृहीत किया जाता है। इसलिए, निर्वचन की किसी भी संदिग्धता से बचने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम की धारा 102 के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित था ताकि यह

स्पष्ट हो सके कि चाहे जो भी नाम पद्धति हो ऐसा कर, भूमि और भवन कर ही होगा। उक्त अधिनियम की धारा 102 के खण्ड (ग) के अधीन नगरपालिका को सड़कों, पुलों इत्यादि पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए केवल तब ही सशक्त किया गया था, यदि वे नगरपालिका के स्वामित्वाधीन हों या उनका निर्माण नगरपालिक निधि से किया गया हो। यह समुचित समझा गया कि नगरपालिकाओं को सरकार, विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों या लोक निजी भागीदारी करारों द्वारा बनायी गयी सड़कों, पुलों इत्यादि पर भी पथकर उद्गृहीत करने के लिए सशक्त किया जाये। तदनुसार, पूर्वोक्त खण्ड (ग) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

उक्त अधिनियम की धारा 103 के अधीन नगरपालिकाएं स्टाम्प शुल्क पर आधे प्रतिशत की अधिकतम दर पर अधिभार अधिरोपित करने की हकदार थीं। नगरपालिका के राजस्व संसाधनों को बढाने की दृष्टि से, इस अधिकतम सीमा को दस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना समुचित समझा गया।

उक्त अधिनियम की धारा 121 के अधीन, नगरपालिक कर के किसी निर्धारिती को अपील का अधिकार दिया गया है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 122 का खण्ड (ख) यह उपबंधित करता है कि इस अधिकार का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कि अपीलार्थी ने समस्त विवादित रकम नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दी हो। इस उपबंध ने अपील के अधिकार को दुर्भर बना दिया था। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त खण्ड (ख) के परन्तुक ने अपीलार्थी द्वारा रकम को जमा कराने से पूर्णतः या भागतः छूट देने के लिए अपील प्राधिकारी को सशक्त कर दिया था। अपील प्राधिकारी के हाथों में ऐसे विस्तृत विवेकाधिकार में शक्ति के भेदभाव पूर्ण उपयोग की संभाव्यता थी। अतः, अपील के अधिकार को वास्तविक अधिकार बनाने और अपील प्राधिकारी से विवेकाधिकार वापस लेने की दृष्टि से यह समुचित समझा गया कि पूर्वोक्त खण्ड (ख) के परन्तुक को हटाया जाना चाहिए और खण्ड (ख) को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि यह

उपबंध किया जा सके कि अपीलार्थी विवादित रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिक कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् अपील फाइल कर सके।

धारा 161 को, शब्द "नगरपालिका" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित था जो कि उपबंधों की स्कीम में सही निर्देश है।

धारा 282 नगरपालिकाओं को कतिपय व्यवसायों को विनियमित करने के लिए सशक्त करती है। यह समुचित समझा गया कि राज्य सरकार को इस धारा में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के अतिरिक्त ऐसे अन्य क्रियाकलापों को विहित करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए जो नगरपालिकाओं द्वारा इस धारा के अधीन विनियमित किये जायें।

धारा 331 नगरपालिक सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति और उक्त सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों से संबंधित सभी मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श का उपबंध करती है। राज्य सेवाओं के लिए नियुक्तियों, चयन इत्यादि के अत्यधिक कार्य में राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहले से ही व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए यह समुचित समझा गया कि आयोग को इस अतिरिक्त कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 331 हटायी जानी प्रस्तावित थी।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 24 नवम्बर, 2010 को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 01) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ।

उपर्युक्त अध्यादेश की धारा 3 के उपबंध को जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 53 हटायी गयी थी, राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी. सिविल रिट याचिका सं. 297/2011, जयरूपाराम माली बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य में विवादित किया गया था। इसलिए उपरोक्त धारा 3 के उपबंधों पर पुन:विचार किया गया और यह समुचित

समझा गया था कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध, अप्रत्यक्ष रीति से अविश्वास का संकल्प लाये जाने से संबंधित उपबंधों को कानून से हटाने के स्थान पर ऐसे संकल्प को स्वयं निर्वाचक मण्डल के समक्ष मतदान द्वारा यह विनिश्चित करने के लिए रखा जाना चाहिए कि अध्यक्ष को पद पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाये या उसे वापस बुलाया जाये। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 53 को उपरोक्त सीमा तक प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उल्लिखित उपांतरण सहित प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल]
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 53 को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को,-

(i) किसी अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के संबंध में मतदान की प्रक्रिया;

(ii) वह रीति, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान की व्यवस्था करेगा;

(iii) वह रीति, जिसमें उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव लाया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा,

विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 4, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 की उप-धारा (1) में एक परन्तुक अंत:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को, वे समूह आवासन या नगरीय परियोजनाएं जिन पर उक्त परन्तुक द्वारा अधिरोपित शर्त लागू होगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 7, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में एक नयी धारा 89-क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों का वह प्रतिशत, जो नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिह्नित होगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 12, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 282 की उप-धारा (1) में एक नया खण्ड (न) जोड़े जाने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को, उस

धारा में विनिर्दिष्ट किये गये उन क्रियाकलापों के अतिरिक्त ऐसे अन्य क्रियाकलाप, जो नगरपालिकाओं द्वारा इस धारा के अधीन विनियमित किये जायें, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल]
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

37. पद की शपथ.-(1) प्रत्येक सदस्य, इस रूप मे अपना कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व, कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती के समक्ष, विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(2) **XX XX XX XX XX XX XX XX**

53. अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव.-(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पदग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

XX XX XX XX

73. सम्पत्ति के अन्तरण और संविदाओं के संबंध में उपबन्ध.-(1) प्रत्येक नगरपालिका, विहित निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अपनी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जिसमें नगरपालिक भूमि या कोई सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्यथा अन्तरित करने और जहां तक इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हों, ऐसी समस्त संविदाएं, जिन्हें

उक्त उपबंधों और प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, करने या उनका पालन करने के लिए सक्षम होगीः

परन्तु-

(i) ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण और संविदा किसी नगरपालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप न हो ;

(ii) किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई भी पट्टा, विक्रय, नियमन, आबंटन या अन्तरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा, विहित रीति से और विहित शर्तों पर न कर दी जाये।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "सरकारी भूमि" से ऐसी कोई भूमि अभिप्रेत है,-

(क) जो धारा 68 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन नगरपालिका में निहित हो गयी हो ; या

(ख) जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 में यथा-परिभाषित नजूल भूमि है ; या

(ग) जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाये।

(2) से (3) **XX** **XX** **XX**

XX **XX** **XX** **XX**

87. नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना.-(1) मुख्य नगरपालिक अधिकारी प्रत्येक वर्ष में पन्द्रह जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा, और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा। तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने से पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(2) से (7) XX XX XX XX

88. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.-नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिये नगरपालिका को निदिष्ट कर सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

XX XX XX XX

102. बाध्यकारी कर.-(1) धारा 4 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जिसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक मामले में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करे, और ऐसे रीति से, जो इस अधिनियम में अधिकथित की गयी है और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों में उपबन्धित की जाये, निम्नलिखित कर उद्गृहीत कर सकेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो उद्गृहीत करेगी अर्थात्:-

(क) इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा, नगरपालिक सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर;

(ख) XX XX XX XX

(ग) नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कों, पुलों और घाटों पर पथकर;

(घ) से (च) XX XX XX

परन्तु किसी नगरपालिका द्वारा और उसके अनुरोध पर किये गये किसी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं कि किसी नगरपालिका के लिए इस धारा में उल्लिखित करों में से किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने, या उसका उद्ग्रहण बन्द करने, या उसकी दर कम करने का पर्याप्त

औचित्य है तो ऐसा आदेश करने के कारणों सहित, राजपत्र में प्रकाशित विशेष आदेश द्वारा उस नगरपालिका को ऐसे किसी भी कर का उद्ग्रहण नहीं करने या उसका उद्ग्रहण बन्द करने, या उसकी दर कम करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(2) **XX** **XX** **XX**

103. अन्य कर जो अधिरोपित किये जा सकेंगे.-(1) राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, कोई नगरपालिका उसके सम्पूर्ण या उसके किसी भाग में, जिसके लिए उसकी स्थापना की गयी है, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी भी कर का अधिरोपण और उद्ग्रहण कर सकेगी, अर्थात्:-

(i) से (viii) **XX** **XX** **XX**

(ix) स्टाम्प शुल्क पर, स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अनधिक की दर पर, अधिभार;

(x) **XX** **XX** **XX** **XX**

(2) से (3) **XX** **XX** **XX**

XX **XX** **XX** **XX**

122. परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व-निक्षेप.- ऐसी कोई भी अपील तब तक सुनी और अवधारित नहीं की जायेगी जब तक कि-

(क) **XX** **XX** **XX** **XX**

(ख) आवेदक ने उससे दावाकृत रकम नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दी हो:

परन्तु अपील प्राधिकारी लेखबद्ध कारणों से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो वह अधिरोपित करे, खण्ड (ख) में उल्लिखित रकम को जमा कराये बिना, या ऐसी कम राशि जमा कराने पर, जिसके लिए उक्त प्राधिकारी निदेश दे, अपील ग्रहण कर सकेगा।

XX **XX** **XX** **XX**

161. योजना के प्रवर्तन की तारीख.-नगरपालिका द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरंत पश्चात् उसे लोक नोटिस द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है और उस स्थान का नाम देते हुए, जहां योजना की प्रति का समस्त समुचित कालांशों में

निरीक्षण किया जा सकता है, प्रकाशित किया जायेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को यह योजना प्रवर्तन में आ जायेगी।

XX **XX** **XX** **XX**

282. कतिपय व्यवसायों का विनियमन.-(1) यदि नगरपालिका का समाधान हो जाये कि कोई भवन या स्थान किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है अथवा उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है,-

(क) से (थ) **XX** **XX** **XX**

(द) आसवनी के रूप में, या

(ध) किसी अन्य प्रकार के कारखाने या कारबार के स्थान के रूप में जहां से संतापकारी या अस्वास्थ्यकर गंध, धूम, कालिख या गर्द निकलती हो या जिससे आग लगने का जोखिम हो,

ऐसे उपयोग के कारण तथा उसकी स्थिति के कारण आस-पड़ोस के लिए न्यूसेंस होने की सम्भावना है या इस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है या इस प्रकार से स्थित है कि वह जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो सकता है तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह -

(i) उस स्थान का, ऐसा उपयोग तुरन्त बन्द करे, या ऐसा उपयोग किये जाने से या किये जाने के लिए इस प्रकार के आशय से विरत हो ,या

(ii) उसको ऐसी रीति से या उसमें सरंचना संबंधी ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जैसा कि नगरपालिका ऐसे नोटिस में विहित करे, उपयोग में लाये ताकि वह जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए न्यूसेंसकारी या खतरनाक न बन जाये या न रहे, या

(iii) उसको ऐसे स्थान पर, जो सीमांकित किया जाये, हटाये;

परन्तु खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार की अध्यपेक्षा खण्ड (क) से (ञ) तक विनिर्दिष्ट उपजीविका में से किसी के संबंध में नहीं की जायेगी जब वह स्वामी या अधिभोगी द्वारा स्वयं या उसके

परिवार के किसी सदस्य द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता हो, जब तक कि नगरपालिका ऐसी उपजीविका चलाने के लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था न कर दे।

(2) से (5) **XX** **XX** **XX**
XX **XX** **XX** **XX**

331. आयोग से परामर्श.-(1) सेवा के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से, जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है, संविधान के अधीन उसके अपने कृत्यों के अतिरिक्त, निम्न विषयों पर भी परामर्श ली जायेगी,-

(क) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामलों पर, और

(ख) सेवा के सदस्यों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनिक मामलों पर।

(2) आयोग का, उप-धारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले पर सलाह देने का कर्तव्य होगा।

(3) आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सेवा में या किसी श्रेणी या उसके प्रवर्ग में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं, यदि आवश्यक हों, संचालित कराये।

(4) आयोग, संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (2) के अधीन प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस धारा के अधीन सेवा के संबंध में आयोग द्वारा किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट सम्मिलित तथा समाविष्ट करेगा तथा ऐसी रिपोर्ट पर उक्त अनुच्छेद के उक्त खण्ड में उपबंधित रीति से विचार किया जायेगा।

XX **XX** **XX** **XX**

(Authorised English Translation)

Bill No. 16 of 2011

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 24th November, 2010.

2. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 37 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing word "Every" and before the existing word "member", the expression "Chairperson and" shall be inserted and for the existing expression "the Collector or his nominee", the expression "an officer authorised by the State Government by a general or special order" shall be substituted.

3. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**53. Recalling of Chairperson and motion of no confidence against Vice-Chairperson**.- (1) Every Chairperson of a Municipality shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the Municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Members and presented to the Collector concerned:

Provided further that no such motion shall lie against a Chairperson-

(i) within two years of the assumption of office by the Chairperson;

(ii) if half of the period of tenure of the Chairperson elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Chairperson shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector shall, after satisfying himself and verifying as expeditiously as possible but within a period of seven days that the three-fourth of the Members specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, fix a date for a meeting of the Municipality to be held within a period of fourteen days, which shall be presided over by an officer not below the rank of an Additional Collector nominated by him.

(3) If a resolution expressing no confidence in the Chairperson is passed in that meeting, in the prescribed manner, by a majority of three-fourth of the elected members of the Municipality and communicated to the State Government, the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(4) On receipt of the said reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.

(5) Motion expressing no confidence in the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(6) No notice of motion under sub-section (5) shall be made within two years of the assumption of office by a Vice-Chairperson.

(7) If a motion under sub-section (5) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.".

4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 73 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that where a Municipality leases out, sells, allots or otherwise transfers any municipal land for carrying out prescribed group housing or township projects, such lease, sale, allotment or transfer shall be made subject to the condition that at least twenty percent of plots or housing units in such projects shall be allotted to the persons belonging to such Economically Weaker Section and Low Income Group at such concessional rates through cross subsidization of prices as may be notified by the State Government.".

5. Amendment of section 87, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 87 of the principal Act, the existing expression "However, before submission to the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee." shall be deleted.

6. Amendment of section 88, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 88 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**88. Sanction of budget estimate of Municipality.-** (1) The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year,

adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

(2) Where a Municipality fails to pass the budget estimates according to the provisions of sub-section (1), it shall be mandatory for the Chief Municipal Officer to prepare the budget estimates and submit the same on or before twenty eighth day of February of that year to the State Government. The State Government shall approve the budget estimates with or without modifications and the same shall be deemed to have been passed by the Municipality.

(3) Any work order or sanction regarding any expenditure out of the Municipal Funds shall neither be approved nor be issued in the absence of proper provision in the approved budget, except in cases where a specific approval has been obtained from the State Government. In case of any violation the Chairperson, the Chief Municipal Officer or any other officer authorised to issue such work order or sanction shall be jointly and severally responsible for such expenditure and the same shall be recoverable from them.".

7. Insertion of section 89-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After section 89 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**89-A. Constitution of Basic Services to the Urban Poor Fund.-** (1) Every Municipality shall constitute

a fund called the Basic Services to the Urban Poor Fund, hereinafter in this section referred as 'the fund', for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality.

(2) Such percent, not being less than twenty five percent, of yearly budget grants of a Municipality as may be prescribed by the State Government shall be earmarked and used exclusively for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality and any amount which remains unutilized in the current year shall not lapse and be credited to the fund and shall be available to be utilized in next year in addition to the budget grants of that year.

(3) The allocation to the fund shall be made from the following municipal budget resources, namely:-

(a) Municipality's own sources of revenue like taxes, fees, user charges, rent, etc.;
(b) assigned revenues;
(c) allocations from Central or State Finance Commissions and other inter-governmental transfers;
(d) contributions, in cash or kind, or gifts from individuals, organizations or other donors for services to the poor;
(e) grants from externally aided projects;
(f) sale of municipal assets; and
(g) other sources as determined by the Municipality.

(4) The fund shall be kept in a separate bank account opened with a nationalized bank to be called 'Basic Services to Urban Poor Fund' account.

(5) There shall be maintained separate primary books of accounts with detailed accounting heads in line with the National Municipal Accounting Manual for operation of the fund accounts.

(6) The allocation of the funds and its utilization for providing basic services to the urban poor shall be detailed and enclosed with the municipal annual budget alongwith corresponding figures of the previous year.

(7) Save as provided in this section, provisions of this Act relating to operation of Municipal Fund and accounts and audit thereof shall apply *mutatis mutandis* to the fund constituted under this section.

Explanation.- For the purpose of this section-

(i) any grant or contribution by whatever name called, received by the Municipality which is exclusively for the development of slum areas shall not be a part of the above earmarked funds; and

(ii) 'basic services' shall include expenditure on capital and revenue account directly incurred on water supply, drainage, sewerage, construction of community toilets, solid waste management, connecting roads, street lighting, public parks and play grounds, community and livelihood centers, community health centers, pre-primary and primary education centers, affordable housing for poor and other services as determined by the Municipality but shall not include establishment expenses, including salary and wages, nor directly and specifically incurred for delivery of basic services to the poor.".

8. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 102 of the principal Act,-

(a) in clause (a) after the existing word "buildings" and before the existing word "situated", the expression "called by whatever name" shall be inserted; and

(b) in clause (c), the existing expression "owned by, or built from the funds of, the Municipality" shall be deleted.

9. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (ix) of sub-section (1) of section 103 of the principal Act, for the existing expression "half per cent", the expression "ten per cent " shall be substituted.

10. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 122 of the principal Act,-

(a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) twenty five per cent of the amount so claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office."; and

(b) the existing proviso shall be deleted.

11. Amendment of section 161, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 161 of the principal Act, for the existing word "Municipality", the expression "State Government" shall be substituted.

12. Amendment of section 282, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 282 of the principal Act, -

(a) in clause (r), the existing word "or" shall be deleted;

(b) in clause (s), after the existing punctuation mark "," the word "or" shall be added; and

(c) after clause (s), so amended, the following new clause (t) shall be added, namely :-

"(t) any other activity prescribed by the State Government from time to time,".

13. Amendment of section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing section 331 of the principal Act shall be deleted.

14. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 01 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 37 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, hereinafter referred to as the said Act, provided that every member of the Municipality shall, before entering upon his office, make or subscribe oath or affirmation before the Collector or his nominee. It was considered appropriate that the officer before whom a Member or a Chairperson should make or subscribe oath or affirmation should be nominated by the State Government. Accordingly section 37 was proposed to be amended.

Section 53 of the said Act made provisions regarding expression of no confidence in Chairperson. It was considered appropriate that the Chairperson, who is elected by the people directly, should not be removed from his office in indirect manner. Accordingly section 53 was proposed to be deleted.

Section 73 of the said Act *inter alia* empowers the Municipality to dispose of municipal land. It was a mandatory condition of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission that at least 20% of land or housing units should be reserved to be allotted to the people belonging to Economically Weaker Sections and Lower Income Groups at concessional rates. For compliance of the above condition a proviso was proposed to be added in section 73.

Section 87 of the said Act provides for preparation of budget estimates of Municipality. There was a condition in sub-section (1), that financial estimates shall be approved by the Finance Committee before their submission to the Municipality. That condition was causing delay in timely submission and passage of municipal budget. Therefore, this condition was proposed to be deleted.

Section 88 of the said Act provided for sanction of municipal budget. It was felt that for some or other reasons usually Municipalities kept budget estimates pending. This situation not

only affected development of urban areas but also caused prejudices to the maintenance of basic civic services. Therefore, it was considered appropriate that where Municipality fails to pass budget estimate in the time frame given in sub-section (1) of section 88, the State Government may approve such budget estimates with or without modifications. Cases were also brought to the notice of the State Government wherein work orders and sanctions involving expenditures out of Municipal Fund were issued or granted by Municipalities or its officers without there being any sanctioned or approved budget provisions. Such types of work orders and sanctions were creating unwarranted burden on Municipal Funds. To check such work order and sanctions, it was considered appropriate that where the Chairperson or Chief Municipal Officer or any other Officer issues or grants such work order or sanction should be held liable and the expenditure involved in such work orders and sanctions should be recovered from them. Accordingly section 88 was proposed to be amended.

There is a mandatory condition of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission that every municipality should create a non-lapsable fund of about 25% of total budget grants of the Municipality to provide basic services to the urban poor. To comply with the said condition it was considered appropriate to insert a new section 89-A in the said Act for the purpose of providing for aforesaid Fund.

Land and building tax is levied by different names like property tax, building tax etc. Therefore, with a view to avoid any ambiguity of interpretation, clause (a) of section 102 of the said Act was proposed to be amended so as to clarify that whatever may be the nomenclature the tax would be land and building tax. Under clause (c) of section 102 of the said Act, Municipality was empowered to levy tolls on the roads, bridges, etc. only if they are owned or built from the funds of the Municipality. It was considered appropriate that Municipalities should also be

empowered to levy tolls on roads, bridges etc. built by Government, development authorities, Urban Improvement Trusts or under public private partnership agreements. Accordingly, aforesaid clause (c) was proposed to be amended.

Under section 103 of the said Act, Municipalities were entitled to impose surcharge on stamp duty at a maximum rate of half per cent. With a view to enhance revenue resources of the Municipality, it was considered appropriate to enhance this maximum limit up to ten per cent.

Under section 121 of the said Act, an assessee of municipal tax has been given a right to appeal. However, clause (b) of section 122 of the said Act provided that this right could not be availed of unless the appellant had deposited entire disputed amount in the municipal office. This provision had made the right of appeal onerous. Further, the proviso to aforesaid clause (b) had empowered the appellate authority to exempt the appellant, fully or partially, from the deposit of the said amount. That vast discretion in the hands of appellate authority had potentiality of discriminatory use of the power. Therefore, with a view to make the right of appeal realistic one and withdraw the discretion from appellate authority, it was considered appropriate that proviso to the aforesaid clause (b) should be deleted and clause (b) should be amended so as to provide that the appellant may file an appeal after depositing 25% of the disputed amount in the municipal office.

Section 161 was proposed to be amended to replace the word ‘Municipality’ by the word ‘State Government’, which is the correct reference in the scheme of the provisions.

Section 282 empowers the Municipalities to regulate certain trades. It was considered appropriate that the State Government should be empowered to prescribe such other activities in addition to those specified in the section as may be regulated by the Municipalities under this section.

Section 331 provided for consultation of the Rajasthan Public Service Commission in all matters relating to appointment to municipal service by direct recruitment and on all disciplinary matters affecting the members of the said service. Having regard to the preoccupation of the Rajasthan Public Service Commission with heavy work of recruitment, selection etc. to the State services, it was considered appropriate to relieve the Commission from this additional function. Accordingly section 331 was proposed to be deleted.

Since, the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 01 of 2010) on 24th November, 2010 which was published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 25th November, 2010.

The provisions of section 3 of the aforesaid Ordinance by which section 53 of the said Act was deleted had since been disputed before the Rajasthan High Court in D.B.C.W.P. No. 297/2011, Jairuparam Mali *v.* State of Rajasthan & Other. Therefore, the provisions of aforesaid section 3 were revisited and it was considered appropriate that instead of wiping out from the statute the provisions relating to resolution of no confidence against a directly elected Chairperson in indirect manner, such resolution should be put before the electorate themselves for voting to decide whether the Chairperson should be allowed to continue to hold office or be recalled. Accordingly the section 53 of the said Act is proposed to be amended by substitution to the aforesaid extent.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with the above mentioned modification.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill, which seeks to substitute section 53 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, if enacted, shall empower the State Government to prescribe -

(i) the procedure for voting in respect of recall of a Chairperson;

(ii) the manner in which the State Election Commission shall arrange for voting on a proposal of recall; and

(iii) the manner in which the motion expressing no confidence in the Vice-Chairperson shall be made and considered.

Clause 4 of the Bill, which seeks to insert a proviso in sub-section (1) of section 73 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, if enacted, shall empower the State Government to prescribe group housing or township projects to which the condition imposed by the said proviso shall apply.

Clause 7 of the Bill, which seeks to insert a new section 89-A in the Rajasthan Municipalities Act, 2009, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the percent of yearly budget grants of a Municipality that will be earmarked and used exclusively for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality.

Clause 12 of the Bill, which seeks to add a new clause (t) in sub-section (1) of section 282 in the Rajasthan Municipalities Act, 2009, if enacted, shall empower the State Government to prescribe such other activities in addition to those specified in the section as may be regulated by the Municipalities under that section.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

(Act No. 18 of 2009)

XX XX XX XX

37. Oath of office.- (1) Every member shall, before entering upon his duties as such, make and subscribe before the Collector or his nominee for the purpose an oath or affirmation in the prescribed form.

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX

53. Motion of non-confidence against Chairperson.- (1) Motion expressing no confidence in the Chairperson or the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(2) No notice of motion under this section shall be made within one year of the assumption of office by a Chairperson or a Vice-Chairperson.

(3) If a motion under sub-section (1) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Chairperson or Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.

XX XX XX XX

73. Provisions relating to transfers of property and contracts.- (1) Every Municipality shall be competent, subject to the prescribed restrictions and conditions to lease, sell, regularize, allot or otherwise transfer any movable or immovable property belonging to it, including municipal land as also any Government land and so far as is not inconsistent with the provisions and purposes of this Act and the rules made thereunder, to enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or

expedient in order to carry into effect the said provisions and purposes:

Provided that—

(i) no such lease, sale, regularization, allotment or transfer and contract shall be binding on a Municipality unless it is in conformity with the provisions of this Act and the rules made thereunder;

(ii) no lease, sale, regularization, allotment or transfer of, or any other contract respecting any Government land shall be valid unless it is confirmed by the prescribed authority in the prescribed manner and on the prescribed conditions.

Explanation.-for the purposes of this section, the expression "Government land" means any land-

(a) which has become vested in a Municipality under clause (h) of sub-section (1) of section 68; or

(b) which is a Nazul land as defined in section 3 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956); or

(c) which may be placed at the disposal of a Municipality by the State Government.

(2) to (3) XX XX XX XX XX XX XX XX

87. Preparation of budget estimate of Municipality.- (1) The Chief Municipal Officer shall prepare in each year, before fifteenth January, a budget estimate alongwith an establishment schedule of the Municipality for the ensuing financial year, and such budget estimate shall be an estimate of the actual income expenditure of the Municipality. However, before submission to the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee.

(2) to (7) XX XX XX XX

88. Sanction of budget estimate of Municipality.- The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year, adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

XX XX XX XX

102. Obligatory taxes.- (1) Subject to the provisions of section 4, every Municipality may, and if so required by the State Government shall, levy, at such rate and from such date as the State Government in each case direct by notification in the Official Gazette and in such manner as is laid down in this Act and as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf, the following taxes, namely:-

(a) tax on lands and buildings situated in the municipal limits, by unit area base method or by any other method;

(b) XX XX XX

(c) toll on roads, bridges and ferries owned by, or built from the funds of, the Municipality;

(d) to (f) XX XX XX

Provided that upon a representation made to it by and at the request of a Municipality, the State Government, if it is satisfied that circumstances exist which sufficiently provide the justification for a Municipality not to levy, or to stop the levy, or reduce the rate of, any of the taxes mentioned in this section, may, by special order published in the Official Gazette, along with the reasons for

making such order, permit the Municipality not to levy, or to stop the levy, or reduce the rate, of any such tax.

(2) XX XX XX XX

103. Other taxes that may be imposed.- (1) Subject to any general or special orders of the State Government in this behalf, a Municipality may impose and levy in the whole or any part of the Municipality for which it is established, all or any of the following taxes, namely:-

(i) to (viii) XX XX XX XX

(ix) a surcharge on stamp duty at the rate not exceeding half percent of the stamp duty;

(x) XX XX XX XX

(2) to (3) XX XX XX XX

XX XX XX XX

122. Limitation and preliminary deposit of tax claimed.- No such appeal shall be heard and determined unless-

(a) XX XX XX XX

(b) the amount claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office:

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing and on such terms and conditions as it may impose, entertain an appeal without deposit of the amount mentioned in clause (b) or on deposit of such smaller amount as the said authority may direct.

XX XX XX XX

161. Date of operation of Plan.- Immediately after a Plan has been sanctioned by the Municipality, it shall be published through a public notice stating that a Plan has been approved and naming a place where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of the first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into operation.

XX XX XX XX

282. Regulation of certain trades.- (1) If the Municipality is satisfied that any building or place used or intended by any person to be used,-

(a) to (q) XX XX XX XX

(r) as a distillery, or

(s) as a manufactory or place of business of any other kind from which offensive or unwholesome smell, fume, soot or dust arises or which may involve risk of fire,

is, or is likely by reason of such use and of its situation, to become a nuisance to the neighbourhood or is so used or so situated as to be likely to be dangerous to life, health or property, the Municipality may, by written notice, require the owner or occupier-

(i) at once to discontinue the use, or at once to desist from carrying out or allowing to be carried out the intention so to use, of such place, or

(ii) to use it in such manner or after such structural alterations as the Municipality in such notice prescribes so that it may not become, or may be no longer, a nuisance or dangerous to life, health or property, or

(iii) to remove it to such place as may be demarcated:

Provided that no requisition of the nature specified in clause (i) shall be made in respect of any of the occupations specified in clauses (a) to (j) carried on by the owner or occupier himself or by a member of his family as a cottage industry unless the Municipality provides some other place for carrying on such occupation.

(2) to (5) XX XX XX

XX XX XX XX

331. Consultation with Commission.- (1) As respects the service, the State Public Service Commission, hereinafter referred to as the Commission, shall in addition to its functions under the Constitution, be consulted-

(a) on all matters relating to appointments to the Service by direct recruitment, and

(b) on all disciplinary matters affecting the members of the Service.

(2) It shall be the duty of the Commission to advice on any manner referred to it under sub-section (1).

(3) It shall also be the duty of the Commission to conduct examinations, if necessary, for appointments to the Service or to any grade or category thereof.

(4) The Commission shall include and embody, in its report presented under clause (2) of Article 320 of the Constitution, a report as to the work done by the Commission in relation to Service under this section and such report shall be dealt with as provided in the said clause of the said Article.

XX XX XX XX

<u>2011 का विधेयक सं. 16</u>

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी,
सचिव।

(शांति धारीवाल, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 16 of 2011

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, **Minister-Incharge)**